छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 3468/2006

याचिकाकर्ता : मंजीता पटेल, पति श्री प्रकाश भाई पटेल, निवासी– ग्राम ओडारी, विकासखण्ड वाड्रफनगर, तहसील–वद्रफनगर, जिला– सरगुजा(छ०ग०)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1) श्रीमती गीतांजलि पटेल, पति श्री ओमप्रकाश पटेल, जाति–कुनावी, निवासी– ग्राम ओडारी, ग्राम पंचायत ओडारी, विकासखंड वद्रफनगर, तहसील–वाड्रफनगर, जिला– सरगुजा(छ०ग०)
2) बिंदेश्वर सिंह, पिता रूपसाई, जाति गोंड, सचिव, ग्राम पंचायत ओदारी, विकासखण्ड– वद्रफनगर, तहसील–वाड्रफनगर, जिला– सरगुजा (छ०ग०)
3) श्री हरदेव सिंह, पिता श्री रामरूप, जाति– गोंड, सरपंच, ग्राम पंचायत ओदारी, विकासखंड–वाड्रफनगर, तहसील– वाड्रफनगर, जिला–सरगुजा(छ०ग०)
4) श्री हरीश चंद्र गुप्ता, पिता श्री महाबीर गुप्ता, जनपद उपाध्यक्ष/अध्यक्ष, स्थायी शिक्षा समीती, वाड्रफनगर, तहसील–वाड्रफनगर, जिला सरगुजा(छ०ग०)
5) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत वाड्रफनगर, तहसील–वाड्रफनगर, जिला– सरगुजा, (छ०ग०)
6) अपर कलेक्टर, सरगुजा, रामानुजगंज।, जिला–सरगुजा(छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत रिट याचिका

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 3468/2006

याचिकाकर्ता : श्रीमती मंजीता पटेल

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : श्रीमती गीतांजलि पटेल और अन्य

याचिकाकर्ता के लिए श्री अभिषेक सिन्हा, अधिवक्ता और श्री नीरज मेहता, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र . 1 के लिए श्री डी. एन. प्रजापति, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण संख्या 2 और 3 के लिए श्री संजय पटेल, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र. 4 के लिए श्री पवन श्रीवास्तव, अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्र. 6 के लिए श्री अजय द्विवेदी, पैनल अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 को पारित)

1. याचिकाकर्ता ने पंचायत अपील क्र. 2/बी–121/2005–2006 में रामानुजगंज, जिला–सरगुजा के अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.6.2006 के निर्णय को क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए चुनौती दी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा गारंटी योजना (संक्षेप में 'ईजीएस') के तहत सरगुजा जिले के वाड्रफनगर विकासखंड के ओदारी गांव में गुरुजी के रूप में नियुक्त किया गया था।

3. उत्तरवादी क्र. 1 की नियुक्ति न होने से व्यथित होकर, उसने पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1993') की धारा 91 के तहत अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष अपील दायर की थी। दिनांक 28.6.2006 के आदेश द्वारा, अतिरिक्त कलेक्टर ने इस तथ्य पर विचार किए बिना कि क्या उन्हें ईजीएस के तहत गुरुजी की नियुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है या नहीं, अपील पर निर्णय लेने की कार्यवाही की और याचिकाकर्ता के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 4.7.2003 को रद्द कर दिया। इसके अलावा, नई नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना और याचिका तथा उसके उत्तर के साथ संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया।

5. मेरा मानना है कि अतिरिक्त कलेक्टर को ईजीएस के तहत गुरुजी की नियुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ईजीएस के खंड 7 में यह प्रावधान है कि ईजीएस के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध संबंधित ग्राम पंचायत के जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।

6. मध्य प्रदेश पंचायत (अपील और पुनरीक्षण) नियम, 1995 (संक्षेप में 'नियम, 1995') के नियम 3 को अधिनियम, 1993 की धारा 95 की उपधारा (1) सहपठित धारा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाया गया है, जो अपील और अपीलीय प्राधिकारी का प्रावधान करता है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत पारित आदेश के

विरुद्ध अपील अधिनियम 1993 के तहत पारित आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई योग्य होगी।

7. याचिकाकर्ता की गुरुजी के पद पर नियुक्ति अधिनियम, 1993 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन नहीं थी, और इसलिए अधिनियम, 1993 की धारा 91 लागू नहीं की जा सकती। वैसे भी, नियम 3, 1995 के अनुसार अपील में अनुविभागीय अधिकारी के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा गया है, यदि अधिनियमों और नियमों या उनके अंतर्गत उप–कानूनों के तहत अन्यथा प्रावधान किया गया हो।

8. वर्तमान मामले में अपील ईजीएस के तहत की गई है जिसमें याचिकाकर्ता को गुरुजी के रूप में नियुक्त किया गया था। राजीव गांधी शिक्षा गारंटी योजना के खंड 7 के तहत स्पष्ट प्रावधान है, इसलिए अधिनियम, 1993 के प्रावधान, विशेष रूप से धारा 91 लागू नहीं होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. उपरोक्त कारणों से और परिणामस्वरूप, यह याचिका स्वीकार की जाती है और पंचायत अपील संख्या 2/बी–121/2005–2006 में अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.6.2006 को रद्द किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

ठाकुर

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक

प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur